



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 2972 वर्ष 2026

श्रीमती राजमुनि और 2 अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अशोक कुमार सिंह यादव, संजू यादव, श्रीकांत सिंह यादव
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सीएससी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे केस संख्या 2058/2022, कंप्यूटर केस संख्या T202214290502058 के रूप में दर्ज किया गया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् तहसीलदार (न्यायिक), तहसील जखनिया, जिला गाजीपुर द्वारा 08.02.2024 को बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित किया गया था।
2. उपरोक्त से असंतुष्ट होकर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के तहत वैधानिक अपील प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि राजस्व), जिला गाजीपुर के समक्ष दायर की गई, जिसे मामला संख्या 488/2024, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या D202414290000488 के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त अपील को प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 04.10.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। उपरोक्त से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।
3. यह तर्क दिया जाता है कि अपील को एकतरफा तरीके से और याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना खारिज कर दिया गया था।
4. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।
5. उपरोक्त आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि जब मामले की सुनवाई हुई, तो याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं की ओर से प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं था। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उपरोक्त आदेश पारित करते समय अधिकारियों द्वारा क्या अवैधता या अनियमितताएँ की गई हैं।
6. यदि आदेश बिना सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया है, तो याचिकाकर्ताओं के पास वापसी याचिका दायर करने का उचित उपाय उपलब्ध है।
7. इस स्थिति को देखते हुए, रिट याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. यदि वापसी का आवेदन प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि राजस्व), जिला गाजीपुर के समक्ष दायर किया जाता है, तो वह इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, कानून के अनुसार ही इस पर विचार करेगा और निर्णय लेगा।

19 फरवरी, 2026
स्वाति

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"